"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 209] नवा रायपुर, गुरूवार, दिनांक 30 अप्रैल 2026 — वैशाख 10, शक 1948

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30 अप्रैल 2026

अधिसूचना

कमांक RULE-505/6/2026-GAD-1.— छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल अधिनियम, 2026 (क. 5 सन् 2026) की धारा 1 की उप– धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा यह घोषित करती है कि यह अधिनियम दिनांक 30 अप्रैल, 2026 से प्रभावशील होगा तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल की स्थापना करती है, जो इस अधिनियम के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा उसे सौंपे गये कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अविनाश चम्पावत, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2026.